कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांक क–1/सी0एफ0ओ0/बी0जे0आर0/2018 दिनांक जुलाई 18 ,2018

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
पुष्प निकेतन स्कूल,
धामपुर शुगर मिल परिसर धामपुर
जनपद बिजनौर ।

विषयः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणिकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– आपके आवेदन पत्र दिनांक निल के कम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के कम में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया ।उक्त संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्याः 1120(1)/आठ, दिनांक 27–12–1982 में दिये गये निर्देशो के अनुसार निर्धारित शुल्क भारतीय स्टेट बैक शाखा बिजनौर जनपद बिजनौर में जमा करा दिया गया है। उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था निम्नवत है ।

क0स0	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1–	ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर	4.5 के0जी0	20	कार्यशील
2–	फायर हाईड्रेन्ट मय पाईप एवं ब्रान्च	–	01	कार्यशील
3–	फायर बकेट्स	09 लीटर	16	कार्यशील

उपरोक्त वर्णित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणो के मन्टीनेंस हेतु एक मन्टीनेंस रजिस्टर प्रतिष्ठान में बनाकर रखा जायेगा जिसमें दैनिक ,सप्ताहिक ,मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक ,वार्षिक कार्यकलापों का विवरण अंकित किया जायेगा ।

अतः उक्त विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है । विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था समय–समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा । उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

18.07.2018

(सन्तोष कुमार राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपिः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।